श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

<u>अग्रिम जमानत आवेदन – 103/26</u>

तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 01/26

मन्टु कुमार...आवेदक

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी

<u>18/03/2026</u> आवेदक (1) मन्टु कुमार उम्र 24 वर्ष, पिता राजेन्द्र यादव उर्फ राजेन्द्र प्रसाद, ग्रा0 छज्जुपुर, थाना तेल्हाड़ा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री उदय कुमार सिन्हा द्वारा संचालित किया गया। आवेदक तेल्हाड़ा थाना कांड सं0– 01/26, दिनांक 03/01/26 को भा0न्या0सं0 की धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 352, 103(1), 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से इससे पूर्व माननीय प्रधान न्यायाधीश नालन्दा के न्यायालय में और न ही हिलसा कैम्प कोर्ट में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्त का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक को ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाए गए धारा– 109(1) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं जो आवेदक पर लागू नहीं होता है। इस वाद का पल्टा वाद तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– <u>02/26</u> दिनांक 03/01/26 आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें बहुत से लोग जखमी हैं। आवेदक हर साल अपने घर के सामने अपनी ही जमीन पर बने चूल्हे में धान के बीज उबालते हैं, जिसका कोई भी ग्रामीण कभी विरोध नहीं करता है। आवेदक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा इस मुकदमा से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक धारा– 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक कौशलेन्द्र कुमार द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार दिनांक 02/01/2026 को समय करीब संध्या 5:30 बजे सार्वजनिक गली में पड़ोसी सुरज कुमार, धनन्जय प्रसाद धान इसोरने के लिए बड़ा चूल्हा बनाए हुए थे जिससे आने–जाने में कठिनाई होने के कारण सूचक चूल्हा बनाने से मना किया जिसपर दोनों में बहस होने लगा। बहस होते–होते दोनों पिता, पुत्र सूचक को गन्दी–गन्दी गाली देने लगे। सूचक जब दोनों को गाली देने से मना किया तो धनन्जय प्रसाद सूचक का कॉलर पकड़कर फैट–मुक्का से मारने लगा तथा वहीं पर से गिरे ईंट उठाकर मारा जिससे सूचक का दाहीना हाथ तथा ललाट में जख्म का निशान है। सूचक को मारते देख सूचक का छोटा भाई सौरभ कुमार बीच–बचाव करने आया तो सूरज कुमार हाथ में लिए लोहे के रॉड से भाई को मारा जिससे उसका माथा में गंभीर चोट होने के कारण वह छटपटा कर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सूचक के चाचा जितेन्द्र प्रसाद बीच–बचाव करने आए तो सिंटु कुमार, मंटु कुमर, रिशु कुमार तीनों मिलकर दोनों भाई को गाली–गलौज करने लगे तथा मंटु कुमार ने चाचा को लोहे के खन्ती से मारा जिससे उनका भी माथा फूट गया और वे लहू–लुहान हो गए। तभी अमृता कुमारी, नितु कुमारी और सुगनी देवी सभी मिलकर ईंट–पत्थर

A-D.J –

अग्रिम जमानत आवेदन – 103/26
तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 01/26

चलाने लगे तब सूचक का छोटे भाई को नाजुक स्थिति तथा बेहोशी की हालत में इलाज कराने हेतु प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एकंगर सराय ले गया जहाँ मरीज की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रारम्भतः यह अग्रिम जमानत आवेदन में दो आवेदकगण क्रमशः 1. धनन्ज्य प्रसाद एवं 2. मन्टु कुमार की ओर से दाखिल किया गया था। आवेदन के लंबित रहने के दौरान ही एक आवेदक धनन्जय प्रसाद पूर्व में दिनांक 16/03/2026 को गिरफतार हो जाने की दशा में उनका नाम इस आवेदन से वापस ले लिया गया तथा वर्तमान में यह वाद सिर्फ एक आवेदक मन्टु कुमार की सुनवाई हेतु लंवित है। आवेदक मन्टु कुमार पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके परिवारजन को मारपीट करने का आरोप है। मारपीट के क्रम में एक जख्मी सौरभ कुमार की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी, जिसके समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दाखिल की गई है, जो कि अवर न्यायालय के आदेश फलक से भी परीलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त इस काण्ड में दो अन्य जख्मी हैं। विद्वान अधिवक्ता की ओर से आज एक आवेदन इस आशय का भी दाखिल किया गया है कि उपरोक्त आवेदक मन्टु कुमार अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है तथा इस आलोक में विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को वापस लेने की प्रार्थना भी की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक मन्टु कुमार का आवेदन इस सम्प्रेक्षण के साथ निस्तारित किया जाता है कि आवेदक इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु आवेदन करेंगे तथा विद्वान अवर न्यायालय केस के गुण व दोष के आधार पर मामले का निस्तारण करें।

(लेखापित एवं संशोधित)

श्री दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)